रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215424 CG-DL-E-15012020-215424

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195] No. 195] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2020/पौष 25, 1941 NEW DELHI, WEDESDAY, JANUARY 15, 2020/PAUSHA 25, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2020

का.आ. 205(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 15 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (3) तथा धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति आदेश, 2020 है।
- (2) यह आदेश तारीख 15 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगा। 286 GI/2020 (1)

- 2. **हॉलमार्क के साथ चिह्नांकित स्वर्ण कीमती धातु की वस्तुओं का प्रमाणित बिक्री आउटलेटों के माध्यम से बिक्री को अनिवार्य करना**—(1) भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अधिसूचना सं. का.आ. एस.ओ 2421 (अ) तारीख 14 जून 2018 के अनुसार स्वर्ण की बहुमूल्य धातु की वस्तुओं को हॉलमार्क के साथ चिह्नांकित करने के लिए अधिसूचित किया गया है और भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 के विनियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की निबंधन और शर्तों को पूरा करने के पश्चात् प्रमाणित बिक्री आउटलेटों के माध्यम से बिक्री केवल रजिस्ट्रीकृत जौहरियों द्वारा ही की जाएगी।
- (2) सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट बहुमूल्य धातु की कीमती वस्तुएँ उक्त सारणी के स्तंभ (3) में दिये गए भारतीय मानक के तत्स्थानी होंगी और भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से रिजस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र के अधीन हॉलमार्क लगा होगा।
- (3) यह आदेश निम्नलिखित मामलों में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट बहुमूल्य धातु की वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होगा, अर्थात:-
 - (क) निर्यात हेतु निर्मित कोई ऐसी वस्तु, जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी विशिष्टि के अनुरूप हो,
 - (ख) 2 ग्राम से कम वजन वाली वस्तु,
 - (ग) कोई ऐसी वस्तु जो हॉलमार्किंग हेतु भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र से भारत के बाहर से परेषण की प्रक्रिया में हो,
 - (घ) कोई ऐसी वस्तु जिसका चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशुचिकित्सा, वैज्ञानिक या औद्योगिक हेतु उपयोग किया जाना हो,
 - (ङ) स्वर्ण धागे की कोई वस्तु,
 - (च) कोई ऐसी विनिर्मित वस्तु जो पूरी तरह से तैयार नहीं हो, और जिसे आगे और अधिक निर्माण किए जाने की अपेक्षा हो,
 - (छ) बार, प्लेट, शीट, फाँइल, राँड, तार, पट्टी, ट्यूब या सिक्के के किसी भी आकार में स्वर्ण बुलियन।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी—सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल और वस्तुओं के मामले में, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के उपभोक्ता मामले विभाग पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग का कोई ऐसा अधिकारी भी जो संयुक्त सचिव स्तर के स्तर से कम न हो, प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**—कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

क्र.सं.	माल और वस्तुएँ	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृतियाँ	आईएस 1417:2016*	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुएँ, आभूषण और शिल्पकृतियाँ — शुद्धता और चिह्नांकन —
		*ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित।	विनिर्देश

[फा. सं. 6/1/2017- बीआईएस (पार्ट)] अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 15th January, 2020

- **S.O. 205(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 14 read with sub-section (2) and (3) of section 15 and sub-section (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020.
 - (2) It shall come into force with effect from the 15th day of January, 2021.
- 2. Compulsory selling of precious metals articles of gold marked with Hallmark through certified sales outlets.—(1) Precious metal articles of gold notified to be marked with hallmark in the notification of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs number S.O. 2421(E), dated the 14th June 2018, shall be sold only by registered jewellers through certified sales outlets, after fulfilling the terms and conditions of certificate of registration as specified in regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018.
 - (2) Precious metal articles specified in column (2) of the Table below, shall conform to the corresponding Indian Standard given in the column (3) of said Table and shall bear hallmark under a certificate of registration from the Bureau of Indian Standards as per the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018.
 - (3) Nothing in this order shall apply to precious metal articles, specified in column (2) of the Table, in the following cases, namely:-
 - (a) any article meant for export, which conforms to any specification required by the foreign buyer;
 - (b) an article with weight less than two grams;
 - (c) an article which is in course of consignment from outside India to an assaying and hallmarking centre in India recognised as per the Bureau of Indian Standards (Hallmarking) Regulations, 2018, for hallmarking;
 - (d) any article which is intended to be used for medical, dental, veterinary, scientific or industrial purposes;
 - (e) any article of gold thread;
 - (f) any manufactured article which is not substantially complete, and which is intended for further manufacture;

- (g) gold bullion in any shape of bar, plate, sheet, foil, rod, wire, strip, tube or coin.
- 3. **Certification and enforcing authority.**—In respect of the goods and articles specified in column (2) of the Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority and an officer not below the rank of Joint Secretary of the Department having administrative control over consumer affairs in the Government of the State or Union Territory shall also be the enforcing authority.
- 4. **Penalty for contravention.**—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Serial number	Goods and articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gold jewellery and gold artefacts.	IS 1417:2016*	Gold and gold alloys, jewellery and artefacts — Fineness and Marking —
		*as amended by Bureau from time to	Specification.
		time.	

[F. No. 6/1/2017-BIS (Pt.)]

AWADHESH KUMAR CHOUDHARY, Economic Advisor